सार्वजनिक नीलामी सूचना

इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय वसूली अधिकारी एवं अतिरिक्त तहसीलदार सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल के यहां म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 85 के अंतर्गत दर्ज बजावरी प्रकरण क्रमांक 20173/101 दिनांक 08.06.22026 के अंतर्गत डिक्रीधारी संस्था सद्‌गुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल म प्र के ऋणी सदस्य स्व. श्री धीरज कुमार गुप्ता आत्मज श्री रामनाथ गुप्ता द्वारा दृष्टिबंधक डिक्री के निष्पादन में कुर्क की गई चल संपत्ति कार क्रमांक MP04CU4198 सेलून कलर चेसिस क्र MAIZXXMTKZHR31910 इंजन क्रमांक MAIZXXMTKKZHR31910 फोर्ड फिगो एस्पायर 2017 मॉडल डिक्रीधारी के कुल बकाया ऋण राशि रू. (13,42,497.00 एवं/ दिनांक 01.06.2026 से अदायगी दिनांक तक ब्याज एवं वसूली व्यय एवं निष्पादन खर्च सहित) नीलामी तिथि के पहले न चुकाई गई तो कुर्क की गई चल संपत्ति कार दिनांक 22.09.2026 दिन मंगलवार समय प्रातः 11.30 बजे से सायंकाल 4.00 बजे के बीच या किसी अन्य दिन जब तक के लिए बिक्री स्थगित की जाए, सद्‌गुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित् भोपाल शाखा भेल 43/एन/3डी सेक्टर बरखेडा भोपाल पर सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच दी जावेगी।

नीलामी की शर्तें - (1) संपत्ति जहाँ है, जैसी है, जो भी है उसी स्थिति में, के आधार पर विक्रय की जावेगी। (2) संपत्ति का आरक्षित मूल्य रू. 1.30 लाख है (रू. एक लाख तीस हजार मात्र) इसके उपर बोली रू. 1000.00 (रू. एक हजार मात्र) के गुणकों में आगे बढ़ाकर लगाई जा सकेगी। (3) दृष्टिबंधक कार जो कि बैंक के भौतिक कब्जे में है , का निरीक्षण सोमवार दि. 21.09.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं काल 5.00 बजे के बीच बैंक की भेल शाखा बरखेडा में किया जा सकेगा। (4) सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने के लिये खरीददार को रू. 5000.00 की अमानत राशि जमा करना आवश्यक होगी एवं एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा । (5) संपत्ति सबसे ऊंची बोली बोलने वाले को बेची जावेगी। (6) नीलामी फाईनल होने पर नवीन खरीददार को नीलामी की 25 प्रतिशत राशि नगद तत्काल जमा करना आवश्यक है। राशि जमा न करने की स्थिति में अमानती राशि जब्त हो जावेगी तथा पुनः नीलामी पुनः प्रारंभ की जावेगी । (7) शेष 75 प्रतिशत राशि 15 दिवस में नगद जमा करना आवश्यक है। (8) खरीदार को संपत्ति का कोई भी भाग ले जाने की तब तक अनुमति नहीं दी जावेगी जबतक वह पूर्ण मूल्यराशि का भुगतान न करदे । (9) RTO में नाम ट्रांसफर कराने एवं वाहन का बीमा आदि व्यय खरीदार को स्वयं वहन करना होगा । (10) दृष्टिबंधक संपत्ति पर देय शासकीय व्यय, चालान आदि यदि कोई हो तो उसका व्यय खरीददार को स्वयं वहन करना होगा । (11) खरीददार से अपेक्षा है कि नीलामी में भाग लेने के पूर्व वह हर बात की पुष्टि/संतोष कर लेवें कि विक्रय हेतु प्रस्तावित वाहन पर कोई

SADGURU NAGRIK SAHAKARI BANK MYDT. BHEL Branch Bhopal

विक्रय अधिकारी
वसूली अधिकारी एवं अतिरिक्त त...
...संस्थाएं जिला भोपाल

न्यायालयीन कार्यवाही / दुर्घटना एफआईआर/ चालान आदि लंबित नहीं है । बाद में की किसी प्रकार का विवाद बिक्री अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा । (12) यह बिक्री अधिकारी के विवेक पर निर्भर होगा कि यदि उसे लगाई गई कीमत कम प्रतीत हो या अन्य किसी कारणों से सबसे ऊंची बोली को स्वीकार न करें । (13) बिक्री तब तक अंतिम नहीं होगी जब तक कि वसूली अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि न कर दी जावे और बिक्री तथा पुष्टिकरण के बीच 30 दिन का समय लिया जावेगा । जिससे की निर्णीत ऋणी को या संपत्ति में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति वसूली अधिकारी के पास डिक्रीधारी की संपूर्ण देय ऋणराशि का भुगतान कर एवं नवीन खरीददार को खरीद रकम का 5 प्रतिशत बराबर रकम का भुगतान कर ब्रिक्री रद्द करने का आवेदन कर सके । (14) विक्रय उपरांत प्राप्त होने वाली राशि के पश्चात डिक्रिधारी वकाया ऋणराशि का निर्णीतऋणी /जमानतदार से वसूली का अधिकार सुरक्षित रखता है। (15) सभी इच्छुक खरीददारों से निवेदन है कि नीलामी के दौरान सार्वजनिक हित में नियमों का पालन करे एवं सद्भाव बनाये रखे । (16) सम्भावित क्रेता अवगत हों कि उत्तराधिकारी स्व. श्री धीरज गुप्ता की पत्नी श्रीमती ज्योति गुप्ता द्वारा उक्त दृष्टिबंधक वाहन को अनाधिकृत रूप से विक्रय करने के प्रयास के तहत एक अनुबँध-पत्र दिनांक 25.08.2018 को श्री राहुल गिरी पिता श्री ओमप्रकाश गिरी निवासी मकान न. 09 SRG होम्स खजुरी कला रोड भोपाल के पक्ष में निष्पादित किया गया । अनाधिकृत विक्रय के संबंध में एक FIR नं. 9213160/42 U/S 406 दिनांक 18.07.2026 थाना गोविन्दपुरा में दर्ज है । उक्त वाहन स्व.ऋणी के नाम पंजीकृत होकर सद्गुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल में दृष्टिबंधक है तथा ऋण की संपूर्ण अदायगी तक बैंक की संपत्ति है अतः यह किया गया अनुबँध अवैधानिक प्रभावहीन एवं शून्य है एवं संपत्ति पर बैंक का भौतिक आधिपत्य वैंधानिक रूप से पूर्ण व पवित्र है। इच्छुक खरीददार विक्रय के अन्य शर्तो के ब्योरे एवं प्रकरण के संबंध में अधिक जानकारी के लिये बैंक की भेल शाखा बरखेडा भोपाल में संपर्क कर एवं बैंक के वेबसाइट sadgurubank.co.in से ले सकते है ।

भोपाल
दिनांक 03.09.2026

बिक्री अधिकारी एवं अतिरिक्त तहसीलदार वसूली अधिकारी सहकारी संस्थाएं जिला-भोपाल

बिक्री अधिकारी
सद्गुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल (म.प्र.)

SADGURU NAGRIK SAHAKARI BANK MYDT. BHEL Branch Bhopal